

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2456 / 2025

रमेश कुमार आचार्य

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.04.2025

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलीपुरा, ब्लॉक पीसांगन, अजमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.03.2025 जिसके द्वारा पदोन्नत कार्मिकों की काउंसिलिंग करते हुये उन्हें पदस्थापित किया गया और विकल्प पत्र भी लिये गये, परंतु विकल्प पत्र के आधार पर अपीलार्थी को पदस्थापित नहीं किया गया। उनका कथन है कि लगभग 8000 प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं, परंतु विभाग द्वारा ई-पोर्टल पर मात्र 4840 रिक्त पद

दर्शाये गये और इस प्रकार नियमानुसार सही रिक्त पद न दर्शाते हुये काउंसिलिंग की गई, जो नियम विरुद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.03.2025 (अनुलग्नक-9) को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि प्रधानाचार्य के संपूर्ण रिक्त पद दर्शाते हुये उनकी सूची जारी की जाये और उस आधार पर पारदर्शी काउंसिलिंग की जाये।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)